

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग—९

अधिसूचना

०५ सितम्बर, २००८ ई०

संख्या ३१६ / XXVII(९) / स्टाम्प / २००८—उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय—समय पर यथासंशोधित मारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (अधिनियम संख्या २, सन् १८९९) की धारा ९ की उप धारा (१) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) द्वारा एल्डको—सिडकुल इण्डस्ट्रीजल पार्क लिमिटेड, सितारगंज के संयुक्त उपक्रम के पक्ष में आवंटित की जाने वाली भूमि पर सिडकुल के द्वारा निर्धारित प्रीमियम रु० २.८५ लाख प्रति एकड़ की दर से दिनांक ३०-०९-२००८ तक स्टाम्प शुल्क लिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एल० एम० पन्त,
सचिव।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक १३-९-२००८, भाग—१ में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०य०० (आर०ई०) ११२ वित्त/७०५-१९-९-२००८-२०० (कम्प्यूटर/रीजियो)